मु० नं०। 12/2020 सन्तो उर्फ सन्तरा बनाम लैण्ड होल्डर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22-12-2020	पत्रावली पेश हुई / अभिभाषक संघ ने कार्य का बहिष्कार किया है। P.O. साहब ~~दौरे पर / अवकाश पर~~ / अन्य कार्यों मे व्यस्त है। पत्रावली दि० 11-1-2021 को पेश हो। रीडर
11-1-2021	वकील प्रार्थी उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय दि० 18-1-2021 को पेश हो।
18-1-2021	~~पत्रावली पेश हुई / वकील वादी / प्रतिवादी / अपीलार्थी / रेस्पोन्डेन्ट / प्रार्थी / अप्रार्थी / लगतपक्ष~~ उपस्थित हैं / ~~अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन~~ अधिकारी ~~अवकाश पर है~~ / अवकाश पर है / ~~अन्य कार्यों में व्यस्त है / का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 19-1-2021 को पेश हो। रीडर
19-1-2021	वकील प्रार्थी उप०। प्रा०पत्र 136 L.R.A. स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तक्मील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:32:48 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
12/2020	8.9.2020	19.1.2021

सन्तो उर्फ सन्तरा पत्नी स्व0 बत्तीलाल जाति बैरवा निवासी खूंटला तहसील गंगापुर सिटी
—प्रार्थी

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित :– श्री तरूण शर्मा, एडवोकेट प्रार्थिया की ओर से

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम खूंटला की ढाणीं में भूमि ख0नं0 618 रकबा 1.16 है0 स्थित है जो प्रार्थिया व अन्य सहखातेदारों की काश्त की भूमि है। प्रार्थिया के पती बत्तीलाल का देहान्त हो चुका है। प्रार्थिया इस भूमि पर काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करती आ रही है। राजस्व अभिलेख में राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश सन्तरा पत्नी स्व0 बत्तीलाल व नाबालिग छगन, दिनेश, मगन, लखन की सरपरस्त प्रार्थिया का नाम सन्तरा अंकित कर दिया है जबकि प्रार्थिया का वास्तविक नाम सन्तो बेवा बत्तीलाल है। सन्तरा प्रार्थिया का उप नाम है। समस्त राजकीय व अर्धराजकीय राजस्व दस्तावेजो में प्रार्थिया का नाम सन्तो बेवा बत्तीलाल है। इस इन्द्राज की जानकारी प्रार्थिया को दिनांक 5.6.2020 को हुई जब प्रार्थिया बैंक से ऋण लेने गई। प्रार्थिया गरीब काश्तकार महिला है, इस कृषि भूमि के अतिरिक्त प्रार्थिया के पास आय का अन्य साधन नहीं है। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थिया राजकीय सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर हाल जमाबंदी सं0 2074 के खाता संख्या 31 में दर्ज भूमि ख0नं0 618 रकबा 1.16 है0 ग्राम खूंटला की ढाणीं में दर्ज प्रार्थिया का नाम सन्तरा पत्नी स्व0 बत्तीलाल की जगह सन्तो पत्नी स्व0 बत्तीलाल किया जावे व इसी तरह प्रार्थिया के नाबालिग बच्चों की वल्दियत में प्रार्थिया का नाम सन्तरा के स्थान पर सन्तो [illegible] किया जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती की जावे।

प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थिया ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076, फोटोकोपी राशनकार्ड,, फोटोकोपी आधार कार्ड प्रस्तुत की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:32:48 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार गंगापुर सिटी से रिपोर्ट मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थिया का नाम सन्तो अंकित किया है एवं इस रिपोर्ट के साथ आई0एल0आर0 की रिपोर्ट की छाया प्रति भी प्रस्तुत की है।

प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिया के विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

सन्तो उर्फ सन्तरा बनाम लैण्ड होल्डर, प्रा0पत्र 136 एल0आर0एक्ट

(2)

प्रार्थिया के विद्वान वकील ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व अभिलेख में प्रार्थिया का सही नाम सन्तरा के स्थान पर सन्तो दर्ज करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख, तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट व इसके साथ संलग्न भू–अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट की छायाप्रति का अवलोकन किया। तहसीलदार गंगापुर सिटी की रिपोर्ट एवं प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजो के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थिया का सही नाम सन्तरा नहीं होकर सन्तो है एवं इसी अनुसार प्रार्थिया राजस्व अभिलेख में अपना सही नाम सन्तो दर्ज करवाने की अधिकारी है। फलस्वरूप प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 एल0आर0एक्ट स्वीकार किया जाकर जमाबंदी सं0 2073 से 2076 ग्राम खूंटला की ढाणीं में दर्ज भूमि ख0नं0 618 रकबा 1.16 है0 में दर्ज नाम "संतरा" के स्थान पर नाम "सन्तो" दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। आदेश की पालना हेतु आदेश की एक सत्य प्रतिलिपि तहसीलदार गंगापुर सिटी को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.1.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अनिल कुमार चौधरी)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2021.02.19 17:32:48 IST
Reason: SelfAttested